

“वनस्वरूप क्षेत्र” सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की परियोजना क्रियान्वयन इकाई जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत रदैता से पीलीभीत खण्ड तक (नया एन.एच. 731 के पैकेज-4 मार्ग (LHS+RHS) कि.मी. (43.000 से 80.000) (Design Chainage Km. 137.250 to 183.380) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 44.588 ह० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव में प्रस्तावित 44.376 ह०. संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त “वनस्वरूप क्षेत्र” की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है।


प्रभागीय निदेशक
प्रभागीय निदेशक
वन संरक्षण विभाग प्रभाग
पीलीभीत
पीलीभीत।